

COMMERCIAL CIRCULAR NO. 06 OF 2025

No. TC-II/2197/2024/Intellectual Disability (E- 3483622) New Delhi, dt. 09.05.2025

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railway

Chairman & Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

CMD/IRCTC/New Delhi.


SUB: Replacement of Word "Mentally retarded persons who cannot travel without an escort"

REF: 1. IRCA Coaching Tariff No. 26 of Part 1 Vol II.
2. Commercial Circular No. 04 of 2018 dated 12.01.2018.
3. Commercial Circular No. 01 of 2025 dated 22.01.2025.

In continuation of above, Ministry of Railways have now decided to replace the word "**Mentally Retarded Persons who cannot travel without an escort**" as under:

EXISTING WORD	TO BE REPLACED BY
Mentally Retarded Persons who cannot travel without an escort	Persons with Intellectual Disability who cannot travel without an escort

- The above shall be implemented with effect from 01.06.2025.
- The revised proforma for the concession certificate is enclosed herewith. The certificate already issued in the old proforma before 01.06.2025 shall remain valid till the expiry of the validity period.
- There shall be no change in Railway Concession Certificate for "Blindness" as issued vide Commercial Circular No. 01 of 2025.
- There shall be no change in other terms and conditions.
- Necessary changes shall also be ensured in Railway Divyangjan ID Cards, online/offline application forms for such purpose etc.
- CRIS, IRCTC & Zonal Railways may update the revised proforma on their website.
- Zonal Railways may print the revised proforma and make available at all locations/stations to avoid inconvenience. Necessary instructions shall be issued to the all concerned.
- Wide publicity shall be given and updated information shall be ensured at website/stations etc.




(Rohit Kumar)
Joint Director Passenger Marketing
Railway Board

COMMERCIAL CIRCULAR NO. 06 OF 2025

No. TC-II/2197/2024/ Intellectual Disability (E- 3483622) New Delhi, dt 09.05.2025

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. CRB & CEO, M(O&BD), Railway Board for information.
2. EDPG/MR, OSD/MR, JDPG/MOSR(S), office of MOSR(R) for information.
3. PED(Vig), PED(A), EDF(C), EDIP, DPM-II of Railway Board.
4. CMD, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, near National Rail Museum, New Delhi for necessary Software changes.
5. CMD, IRCTC, 11th Floor, Statesmans House, B-148, Barakhambha Road, New Delhi-110 001.
6. MD/KRCL, Navi Mumbai.
7. PCCM/Northern Railway/New Delhi for arrangement of issue of correction slips to Coaching Tariff.
8. Secretary/Ministry of Social Justice and Empowerment for information.



(Rohit Kumar)
Joint Director Passenger Marketing
Railway Board

Concession Certificate for three categories of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Concession certificate form for Orthopaedically Handicapped / Paraplegic (person/patients) who cannot travel without an escort /Persons with intellectual Disability who cannot travel without an escort/Person with Hearing and Speech impairment totally (Both afflictions together in the same person)

Paste passport
size
Photograph
Duly signed and
Stamped by the
Issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt. _____ whose particulars are furnished below is a bonafide:

- ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED / PARAPLEGIC (PERSON/ PATIENTS), WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT
- PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT
- PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)*

Particulars:

- a) Address: _____
- b) Father's/Husband's Name: _____
- c) Age: _____
- d) Sex: _____
- e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent): _____
- f) Signature or thumb impression of the person seeking concession (not necessary for those with both hands missing or non-functional): _____

(Signature of Government Doctor)

Place: _____

Date: _____

Clear seal of Government Hospital

Seal containing full name and
Registration Number of the Doctor

***Strike out where not applicable.**

1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARPLEGIC (PERSON/PATIENTS) WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT or PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT or PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.

2) For PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT /PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of Orthopaedically/Paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.

3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.

4) No alternation in the form is permitted. **This form could be uploaded alongwith other required document on <https://divyangjanid.indianrail.gov.in/> for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also.**

2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 06

सं.टीसी-II/2197/2024/ बौद्धिक दिव्यांगता (ई-3483622)

नई दिल्ली, दिनांक 09.05.2025

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, क्रिस
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ आईआरसीटीसी/नई दिल्ली


विषय: "मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते" शब्द का प्रतिस्थापन।

- संदर्भ : 1. भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग टैरिफ सं. 26 का भाग-I जिल्द II.
2. 2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04, दिनांक 12.01.2018.
3. 2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 01, दिनांक 22.01.2025.

उपरोक्त के क्रम में, रेल मंत्रालय ने "मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते" शब्द का प्रतिस्थापन अब निम्नानुसार करने का विनिश्चय किया है :

मौजूदा शब्द	के द्वारा प्रतिस्थापित
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते	बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते

- उपर्युक्त को 01.06.2025 से लागू किया जाएगा।
- रियायत प्रमाण पत्र के लिए संशोधित प्रोफार्मा इसके साथ संलग्न है। 01.06.2025 से पूर्व पुराने प्रोफार्मा में पहले से जारी किया गया प्रमाणपत्र, वैधता अवधि की समाप्ति तक वैध रहेगा।
- 2025 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 01 के तहत जारी "दृष्टिहीन" के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र में कोई बदलाव नहीं होगा।
- अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- रेलवे दिव्यांगजन पहचान पत्र, ऐसे उद्देश्य आदि के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्रों में भी आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित किए जाएंगे।
- क्रिस, आईआरसीटीसी एवं क्षेत्रीय रेलें अपनी वेबसाइट पर संशोधित प्रोफार्मा को अद्यतन करें।
- क्षेत्रीय रेलें असुविधा से बचने के लिए संशोधित प्रोफार्मा को छपवा कर इसे सभी स्थानों/स्टेशनों पर उपलब्ध कराएं। सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
- व्यापक रूप से प्रचार किया जाए तथा वेबसाइट/स्टेशनों आदि पर अद्यतन जानकारी सुनिश्चित की जाए।



(रोहित कुमार)


संयुक्त निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं.टीसी-II/2197/2024/ बौद्धिक दिव्यांगता (ई-3483622)

नई दिल्ली, दिनांक ०९ .05.2025

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाही हेतु निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सदस्य (परिचालन एवं वाणिज्य विकास), रेलवे बोर्ड को सूचनार्थ ।
2. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत /रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत /रेल राज्य मंत्री(एस), रेल राज्य मंत्री (आर) के कार्यालय को सूचनार्थ ।
3. प्रधान कार्यपालक निदेशक (सतर्कता), प्रधान कार्यपालक निदेशक (ए), कार्यपालक निदेशक वित्त (सी), कार्यपालक निदेशक आईपी, निदेशक यात्री विपणन-II, रेलवे बोर्ड ।
4. मुख्य प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के पास, नई दिल्ली को आवश्यक सॉफ्टवेयर परिवर्तन के लिए ।
5. मुख्य प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, 11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस, बी-148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
6. प्रबंध निदेशक/ केआरसीएल, नवी मुम्बई ।
7. प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/ उत्तर रेलवे, नई दिल्ली को कोचिंग टैरिफ के शुद्धि पर्चियों को जारी करने की व्यवस्था करने हेतु ।
8. सचिव/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सूचनार्थ ।



(रोहित कुमार)

संयुक्त निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

संलग्न: संशोधित रेलवे रियायत प्रमाणपत्र प्रपत्र (1 पृष्ठ).

नोट: हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के अर्थ में विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा ।

दिव्यांगजन की तीन श्रेणियों के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फॉर्म

जारी करने वाले डॉक्टर
द्वारा विधिवत रूप से
हस्ताक्षरित एवं मोहर
लगाया हुआ पासपोर्ट
आकार का फोटो चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती _____ जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में:

- शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) है, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते
- बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते
- पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) है *

विवरण:

क) पता: _____

ख) पिता/पति का नाम: _____

ग) आयु: _____

घ) लिंग: _____

ड) दिव्यांगता की प्रकृति: (डॉ० द्वारा यह लिखा जाए कि अक्षमता अस्थायी है या स्थायी): _____

च) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या काम नहीं करते, उनके लिए आवश्यक नहीं) : _____

(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)

स्थान: _____

दिनांक: _____

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर

डॉक्टर के पूरे नाम और पंजीकरण संख्या वाली मोहर

***जहां लागू न हो उसे काट दें।**

1) यह प्रमाणपत्र केवल उन्हीं शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज), जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।

2) बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए यह प्रमाणपत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) के अस्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।

3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4) इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ <https://divyangjanid.indianrail.gov.in/> पर इस फॉर्म को भी अपलोड किया जाना है।